राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/विविध/2016–17 दिनांक 6 दिसम्बर, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में जिला कलक्टर को राष्ट्रीय पुरस्कार।
प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, के पत्रांक के DO#J-11014/1/2016-RH दिनांक 21नवम्बर, 2016।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2016 को किया जा चुका है। वर्ष 2022 तक सभी को आवास के मध्यनजर वर्ष 2018–19 तक के लक्ष्य राज्य सरकार को आवंटित किये जा चुके है उक्त के परीपेक्ष्य में वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये जा चुके है। उक्त कम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है ।

जिसके कम में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2016 द्वारा दिनांक 28.11.2016 को ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर दिनांक 10.12.2016 तक आपत्तियां प्राप्त कर, निस्तारण उपरान्त दिनांक 16.12.2016 को अन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया है। वरीयता सूची प्रकाशन के साथ ही आवाससाफ्ट पर स्वीकृतियां जारी की जा सकेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासगिक में दिये गये निर्देशों के कम में आप द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों को स्वीकृत दिनांक से 12 माह में एवं स्वीकृति के 50 प्रतिशत से अधिक आवासों को 6 माह की अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।
2. योजनान्तर्गत आवासों के डिजाईन, स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज मिस्त्री प्रशिक्षण भी आयोजित किये जावे।
3. योजना की मोनिटरिंग हेतु आईटी/डीबीटी का उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण आवासों का पादर्शिता के साथ नियत समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जिला कलक्टर को सम्मानित भी किया जायेगा।

अतः आग्रह है कि योजना का कियान्वयन समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण में प्राथमिकता से सहयोग करेगे।

भवदीय
5/12/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,(ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (RH) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)